SAMPURNANAND SANSKRIT UNIVERSITY
VARANASI-221002

ADMISSION POLICY FOR THE PH.D. PROGRAMME*

* SOURCE : RESEARCH POLICY

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
विद्यावारिधि उपाधि अध्यादेश २०२४ के द्वारा निर्णीत शोध प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, २०२२ के अनुरूप पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड

3. पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड - निम्नवत अभ्यर्थी पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं :-

(1) वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है:-

(i) 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद १–वर्ष/२–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा ३–वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद २–वर्षीय/४–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड मे ं एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय-समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

29.03.25

29/03/2025

29/3/25

29.3.25

29.3.25

29.3.25